सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर पिन–272202
Website: www.suksn.edu.in

Siddharth University Kapilvastu,
Siddharthnagar Pin – 272202
Email Id: registrar@suksn.edu.in

पत्रांक 496 /सा0प्र0/सि0वि0वि0/2025 दिनांक 07/08/2025

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
   स्ववित्त पोषित/राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय
   सम्बन्ध–सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. डा0 सरिता सिंह
   सहायक आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. डा0 रक्षा
   सहायक आचार्य, गृह विज्ञान विभाग
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय – हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 5614/32–जी0एस0/2025 दिनांक 05/08/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में तीन चरणों में हर घर तिरंगा अभियान, 2025" आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।**

हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025 के आयोजन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–276/2025/जी0आई.–24/चार–2025, दिनांक 01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है।

तद्क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या–276/2025/जी0आई.–24/चार–2025, दिनांक 01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार अपने–अपने महाविद्यालय/संस्थान में **दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में तीन चरणों में "हर घर तिरंगा अभियान, 2025" आयोजित कराने का कष्ट करें तथा सभी नागरिकगण तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करने का कष्ट करें।**

संलग्नक–यथोक्त।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त, अधिष्ठाता, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. प्रभारी/विभागाध्यक्ष एवं समस्त शिक्षकगण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव

9Ar Ehwil
07.08.25

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई–5614/32–जी0एस0/2025
दिनांकः 05/08/, 2025

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम–2025 के आयोजन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–276/2025/जी.आई.–24/चार–2025, दिनांक 01.08.2025(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–डीओ–42–22/119/2022–AKAM(Pt.II), दिनांक 25.07.2025 के क्रम में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में तीन चरणों में "हर घर तिरंगा अभियान, 2025" आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस अभियान के अन्तर्गत **प्रथम चरण (दिनांक 02 से 08 अगस्त, 2025)** में संस्कृति मंत्रालय की प्रदर्शनियों का प्रदर्शन, तिरंगा प्रेरित कला, रंगोली प्रतियोगिता, तिरंगा राखी व तिरंगा बुनाई एवं धागे की गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। **द्वितीय चरण (दिनांक 09 से 12 अगस्त, 2025)** में से एक दिन वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कांसर्ट का आयोजन, प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव (जिसमें जनप्रतिनिधियों, विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जायेगा), हर घर तिरंगा सेल्फी बूथ, तिरंगा बाइक रैली/तिरंगा साइकिल रैली (जिसमें एन.सी.सी. व एन.एस.एस. को सम्मिलित किया जाय) आदि का आयोजन किया जायेगा। **तृतीय चरण (दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2025)** में विभिन्न शासकीय, शैक्षणिक भवनों एवं अन्य स्थलों पर ध्वजारोहण समारोह एवं तिरंगा प्रकाश लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं इन्हें वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड किये जाने के निर्देश देते हुए

इसके साथ ही 'झण्डा फहराने के नियम' तथा 'झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश' का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दियें गये हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025"** के आयोजन के सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश में निर्धारित किये गये चरणबद्ध कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय/संस्थान एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में आयोजित करने के साथ ही कार्यक्रम से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रेषित करते हुए उसकी साफ्ट कापी (वर्ड फार्मेट में) तथा फोटोग्राफ (JPG फार्मेट में) ई–मेल dseducationsecup@gmail.com पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपि कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान को उपर्युक्त शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(हेमन्त कुमार चौधरी)
कुलाधिपति के उप सचिव।

संख्या- 276 /2025/ जी0आई0-24/चार-2025

प्रेषक,

एस.पी. गोयल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 01 अगस्त, 2025

विषयः 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम-2025 ।

महोदय/महोदया,

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- डीओ-42-22/119/2022-AKAM(Pt.II) दिनांक: 25 जुलाई, 2025 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने **"आज़ादी का अमृत महोत्सव"** के तत्वावधान में 2022 में **हर घर तिरंगा (HGT) अभियान** शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों में, यह राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप में एक सफल अभियान बन चुका है।

2. इस **हर घर तिरंगा (HGT)** अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान, 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफ़लतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। तिरंगे के साथ सेल्फी, प्रभात फेरी, तिरंगा रैलियाँ (बाइक और साइकिल रैलियों सहित), तिरंगा प्रदर्शनियाँ और अन्य जमीनी स्तर की जन-भागीदारी जैसी गतिविधियों ने 'स्वतंत्रता दिवस समारोह' को देशभक्ति से भरपूर और देश भर में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव बना दिया है। यह अभियान जनता के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर भी है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा और तिरंगे के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी है।

3. इसी भावना को जारी रखते हुए, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार (राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 24 जुलाई, 2025 को अनुमोदित) के सर्कुलर के अनुसार क्रियान्वित किए जाने हेतु पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में, 'हर घर तिरंगा अभियान 2025' आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह चरण निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रथम चरण - दिनांक 02 अगस्त से दिनांक 08 अगस्त 2025 तक ।

(2) द्वितीय चरण - दिनांक 09 अगस्त से दिनांक 12 अगस्त 2025 तक ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) तृतीय चरण - दिनांक 13 अगस्त से दिनांक 15 अगस्त 2025 तक ।

4. उपर्युक्त अवधियों में हर घर तिरंगा (HGT) 2025 के अंतर्गत चरण वार सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत है-

I- प्रथम चरण - (दिनांक 02 - 08 अगस्त 2025) -

i. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कला से सजाना

ii. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनियाँ (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड कर उपलब्ध) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

iii. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन।

iv. तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित करना तथा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग' के समन्वय से राखियाँ भेजना।

v. सार्वजनिक स्थानों/बाज़ारों को तिरंगा रंगों को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगे धागों युक्त 'तिरंगा बुनाई और धागे' की गतिविधि का आयोजन करना।

II-द्वितीय चरण - (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2025)

I - वृहद आयोजन -

(1) द्वितीय चरण में 'तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जायेगा, जिसमें एक ही दिन वृहद **'तिरंगा मेला'** और **'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉसर्ट'** आयोजित किया जाना।

(2) प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल जी / माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

(3) 'तिरंगा महोत्सव' आयोजित किए जाने वाले प्रमुख स्थल पर 'तिरंगा मेला' का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार के 'ग्रामीण विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों'(ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री /परिधान /वस्त्र /श्रृंगार सामग्री आदि) की बिक्री पर केंद्रित तिरंगा मेला (सरस मेले के समान) का आयोजन किया जाना।

(4) 'तिरंगा मेला' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन भी किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

(6) वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना।

ii- प्रदेश के गृह विभाग /पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, सिवल डिफेन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली और/या तिरंगा साइकिल रैली' का आयोजन किया जाना।

iii - तिरंगा रैलियाँ/यात्राएँ: बृहद तिरंगे. कपड़े के साथ तिरंगा रैलियों /यात्राओं का आयोजन किया जाना। ये आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस हेतु रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रयास किए जाएं।

iv - तिरंगा और उससे संबंधित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

v- प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी0डी0एस0 दुकानों, खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से **तिरंगा की बिक्री और वितरण** का प्रबंधन किया जाना।

vi- सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

III - तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2025)

दिनांक 13 से 15 अगस्त 2025 के मध्य सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बाँधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
एस.पी. गोयल
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2025/ जी0आई0-24 /चार-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/ लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी अवसर पर फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ सम्मान के साथ उतारना चाहिए।

4- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उसके बाद आदर भाव के साथ उतार कर रखा जाये।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी के भी द्वारा फेंका नहीं जायेगा उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- किसी के घर पर झण्डा विधिवत् तरीके पर लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1-झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चैड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चैड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि से बना होना चाहिए।

4- झण्डे में तीन रंगों केसरिया, सफेद तथा हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिये।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Dina Nath Yadeo <registrar@suksn.edu.in>

E-5614/GS Dated 05-08-2025

1 message

Raj Bhavan Lucknow <dseducationsecup@gmail.com> Tue, Aug 5, 2025 at 6:19 PM
To: registrar.nd.15@gmail.com, regabvmuup@gmail.com, registrar.buat@gmail.com, Bhatkhande University <registrar.bsv@gmail.com>, registrar.bujhansi@gmail.com, registrar@csauk.ac.in, registrar@ccsuniversity.ac.in, registrarcsjmuknp@gmail.com, registrarddugu@gmail.com, registrar@aktu.ac.in, registrar.dbrau.ac.in@gmail.com, registrar@rmlau.ac.in, Jyotsna Agarwal <jyotsnaagarwal.micro@gmail.com>, registrar@dsmnru.ac.in, registrar@hbtu.ac.in, jncuballia@gmail.com, reg@kmclu.ac.in, registrar@kgmcindia.edu, reg@msuniversity.ac.in, registrar@mmmut.ac.in, assttregistrarmgkvp@gmail.com, registrarmjpru@gmail.com, Radheshyam singh <rbsingh4478@gmail.com>, registrar@prsuniv.ac.in, registrar.rmpu@gmail.com, ssvvregistrar@gmail.com, registrar@sgpgi.ac.in, registrarsvpmeerut@gmail.com, registrar@suksn.edu.in, akumarmadan@yahoo.com, registrar.uprtou@gmail.com, registrar@lkouniv.ac.in, connectpuregistrar@gmail.com, mdcsum@up.gov.in, mpublp@gmail.com, registrar-gjum@up.gov.in, Registrarmvsuniversity <registrarmvsuniversity@gmail.com>, registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Respected Sir/Madam,
Pl.find the letter with the attachments.

with regards,

Hemant Chaudhary
Deputy. Secretary to Governor, UP.

E-5614-GS Dated 05-08-2025 Reg.pdf
2036K